

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 116/2026

अनवान : -

1. सुरजा राम पुत्र नामदेव जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. नामदेव पुत्र राजाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर
2. अर्जुन सिंह पुत्र नामदेव जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर
3. हीरा लाल पुत्र नामदेव जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर
4. मलकितो पुत्री नामदेव जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर
5. मीरा पुत्री नामदेव जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0

अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 29/05/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. ए तहसील नोहर के खाता सं. 48/48 की कुल तादादी 1.5180 हैक्टर भूमि स्थित है एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 83/77 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि एव रोही मौजा चक 16 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 35/35 की कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि स्थित है जिसके वादी के दादा राजाराम खातेदार काश्तकार थे।

वादी के दादा राजाराम फौत हो चुके हैं तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके पुत्रगणो धन्नाराम, नामदेव, श्यामलाल, पर औद हुई एवं प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. ए तहसील नोहर के खाता सं. 48/48 की कुल तादादी 1.5180 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 83/77 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि एव रोही मौजा चक 16 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 35/35 की कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 जो कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 ब.हि.ब. की बहिन है एवं प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 4 व 5 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है तथा अपने भाईयों से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखते है तथा वादग्रस्त भूमि में अपना जितना भी हक व हिस्सा था वो मौखिक रूप से वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी सं. 1 भी काफी वृद्ध हो चुका

Page 1 of 5

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है। वादग्रस्त भूमि अपने नाम नहीं रखना चाहता है तथा अपना समस्त हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. ए प्तहसील नोहर के खाता सं. 48/48 की कुल तादादी 1.5180 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 83/77 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 9557/63250 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 16 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 9/28 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं 35/35 की कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं समस्त खातेजात से प्रतिवादी सं. 01 का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 लगायत 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी सं० 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं० 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी सं० 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के दादा राजाराम फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके पुत्रगणो धन्नाराम, नामदेव, श्यामलाल, पर औद हुई एवं प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रोही

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मौजा चक 15 एन.टी.आर. ए तहसील नोहर के खाता सं. 48/48 की कुल तादादी 1.5180 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 83/77 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि एव रोही मौजा चक 16 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 35/35 की कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 जो कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 ब.हि.ब. की बहिन है एवं प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 4 व 5 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है तथा अपने भाईयों से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखते हैं तथा वादग्रस्त भूमि में अपना जितना भी हक व हिस्सा था वो मौखिक रूप से वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी सं. 1 भी काफी वृद्ध हो चुका है। वादग्रस्त भूमि अपने नाम नहीं रखना चाहता है तथा अपना समस्त हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. ए तहसील नोहर के खाता सं. 48/48 की कुल तादादी 1.5180 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 83/77 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 9557/63250 हिस्सा, एव रोही मौजा चक 16 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 9/28 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 35/35 की कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं समस्त खातेजात से प्रतिवादी सं. 01 का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी है प्रतिवादी स0 1 लगायत 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. ए तहसील नोहर के खाता सं. 48/48 की कुल तादादी 1.5180 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 83/77 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि एव रोही मौजा चक 16 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 35/35 की कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है

Zahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर


वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वादी के दादा राजाराम फौत हो चुके है तथा उनकी फौतदगी के बाद उपरोक्त कृषि भूमि उनके पुत्रगणो धन्नाराम, नामदेव, श्यामलाल, पर औद हुई एवं प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से में रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. ए तहसील नोहर के खाता सं. 48/48 की कुल तादादी 1.5180 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 83/77 की कुल ताददी 6.3250 हैक्टर भूमि एव रोही मौजा चक 16 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि एवं रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 35/35 की कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि में प्रत्येक का 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादीगण सं. 4 व 5 जो कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 ब.हि.ब. की बहिन है एवं प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं. 4 व 5 की शादी हो चुकी है तथा अपने ससुराल में काफी धन सम्पदा है तथा अपने भाईयों से अत्याधिक स्नेह एवं मोह रखते है तथा वादग्रस्त भूमि में अपना जितना भी हक व हिस्सा था वो मौखिक रूप से वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है एवं प्रतिवादी सं. 1 भी काफी वृद्ध हो चुका है। वादग्रस्त भूमि अपने नाम नही रखना चाहता है तथा अपना समस्त हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. ए तहसील नोहर के खाता सं. 48/48 की कुल तादादी 1.5180 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 83/77 की कुल ताददी 6.3250 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 9557/63250 हिस्सा, एव रोही मौजा चक 16 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 9/28 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं 35/35 की कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार रहेगे एवं समस्त खातेजात से प्रतिवादी सं. 01 का नाम कलमजन करवाकर इन्ही आश्यों की वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने के अधिकारी , वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हमें कोई ऐतराज नही है अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी स0 1 लगायत 5 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. ए तहसील नोहर के खाता सं. 48/48 की कुल तादादी 1.5180 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 83/77 की कुल ताददी 6.3250 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज

Zalul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

9557/63250 हिस्सा, एव रोही मौजा चक 16 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 9/28 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 35/35 की कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 ब.हि. ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं समस्त खातेजात से प्रतिवादी सं. 01 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ला दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29/05/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 116/2026

अनवान : -

1. सुरजा राम पुत्र नामदेव जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. नामदेव पुत्र राजाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर
2. अर्जुन सिंह पुत्र नामदेव जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर
3. हीरा लाल पुत्र नामदेव जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर
4. मलकितो पुत्री नामदेव जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर
5. मीरा पुत्री नामदेव जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 116 सन 2026 निर्णय दिनांक 29/05/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 15 एन.टी.आर. ए तहसील नोहर के खाता सं. 48/48 की कुल तादादी 1.5180 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 12 बारानी तहसील नोहर के खाता सं. 83/77 की कुल तादादी 6.3250 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 9557/63250 हिस्सा, एव रोही मौजा चक 16 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 68/68 की कुल तादादी 7.0840 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 9/28 हिस्सा, एवं रोही मौजा चक 18 एन.टी.आर. तहसील नोहर के खाता सं. 35/35 की कुल तादादी 2.0240 हैक्टर भूमि में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 3 ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं समस्त खातेजात से प्रतिवादी सं. 01 का नाम कलमजन किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर